

न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला -बड़वानी (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 432 / 2010
संस्थित दिनांक-11.10.2010

म.प्र. राज्य द्वारा-आरक्षी केन्द्र
अंजड़, जिला- बड़वानी(म.प्र.)

..... अभियोगी

वि रु द्ध

कुंवर जी उर्फ कोर जी पिता रूपा जी पाटीदार,
उम्र 62 वर्ष, निवासी चकरी, थाना अंजड़,
जिला- बड़वानी (म.प्र.)

..... अभियुक्त

राज्य द्वारा	—	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	—	श्री आर.के.श्रीवास अधिवक्ता ।

—:: निर्णय ::—
(आज दिनांक 30/10/2017 को घोषित)

01. आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 182/10 के आधार पर दिनांक 03.09.2010 को समय दोपहर 02:00 बजे के पूर्व, स्थान कब्रिस्तान अंजड़ के पीछे अपने खेत पर स्थित कुंआ में जो कि बिना मुंडेर का है, कि ऐसी व्यवस्था करने से जो मानव जीवन को अतिसंभाव्य संकट से बचाने के लिये पर्याप्त हो का उपेक्षापूर्ण लोप करने के कारण उक्त कुंए में गिरने से अजय पिता रमेश की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित करने के लिये जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है, भा.द.वि. की धारा- 304(ए) का अभियोग हैं ।

02. प्रकरण स्वीकृत तथ्य नहीं है ।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03.09.2010 को आरोपी कुंवर जी ने थाना अंजड़ में यह सूचना दर्ज करायी थी। उसका खेत कब्रिस्तान के पीछे है जिस पर कुंआ भी है। दोपहर 02:00 बजे खेत पर गया था उसे गन्दी बदबु आने लगी तो उसने कुंए में झांक कर देखा एक आदमी की लाश तैरती हुई दिखी जो पेन्ट शर्ट पहना था उसने करण और दिलीप कोली को बुलाकर दिखाया तथा नारायण और निलेश को लेकर रिपोर्ट करने आया। उक्त सूचना के आधार पर मार्ग क्रमांक 32/10 दर्ज किया गया तथा जाँच की गई । जाँच के दौरान पाया गया कि आरोपी ने कुंए के आसपास मुंडेर नहीं लगायी थी और कुंआ टुटी-फुटी हालत में था इस कारण

अजय की मृत्यु कुंए में गिरने से हो गयी। अतः आरोपी के विरुद्ध थाना अंजड़ पर अपराध क्रमांक 182/10 दर्ज कर घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर कुंए का पानी और मृतक की टीबिया बोन, एवं विसरा को जाँच के लिये प्रयोगशाला भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

04. उक्त अनुसार आरोपी पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भा.द.वि. की धारा- 304(ए) का अभियोग लगाये जाने पर आरोपी ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक् लिखा गया। द.प्र.स. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताया गया किन्तु बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

05. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं:-

क.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपी ने दिनांक 03.09.2010 को दोपहर 02:00 बजे के पूर्व कब्रिस्तान अंजड़ में अपने खेत में बने आम रास्ते पर बने हुये कुंए में ऐसी व्यवस्था करने का जो मानव जीवन को अतिसंभाव्य संकट से बचाने के लिये पर्याप्त हो उपेक्षा पूर्वक लोक किया जिसके कारण अजय पिता रमेश की कुंए में गिरने से ऐसी मृत्यु कारित हुई जो अपराधिक मानव जीवन की श्रेणी में नहीं आती है ?

—:सकारण निष्कर्ष:—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :-

06. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में रमेश (अ.सा.1) का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। मृतक अजय उसका पुत्र आरोपी के खेत में काम करता था। आरोपी के खेत में कुंआ था जिसकी मुंडेर नहीं बनी थी। काम के दौरान अजय कुंए में गिर गया। उन्होंने घटना वाले दिन आरोपी से जाकर अजय के बारे में पूछताछ की तब आरोपी ने उन्हें कुछ नहीं बताया उसके बाद आरोपी के ही कुंए में उसके पुत्र अजय की लाश होने की बात आरोपी ने बतायी। पुलिस ने अजय की लाश कुंए से निकाली थी। जिसका पहचाना पंचनामा प्रदर्श पी-1 बनाया था, सफीना फॉर्म प्रदर्श पी-2, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-3 तथा नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-3 पर साक्षी ने अंगुठा निशानी स्वीकार किया। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका पुत्र उसके सामने कुंए में नहीं गिरा था तथा खेत के पास लगभग 8-10 फीट चौड़ा रास्ता है उसके बाद खेत है। खेत में काटों की बागड़ लगी हैं तथा बागड़ से 8-10 फीट अंदर कुंआ आरोपी के खेत में है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि खेत की बागड़ के पास फाटक गला है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह नहीं बता सकता की उसका लड़का कब और कैसे गिरा। साक्षी ने यह

भी स्वीकार किया कि घटना स्थल सार्वजनिक स्थान नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसका पुत्र 03-04 महीने से आरोपी के खेत पर कार्य कर रहा था लेकिन साक्षी पुलिस को **प्रदर्श डी-1** का कथन देने से इंकार किया तथा इस सुझाव से भी इंकार किया कि वह आरोपी से पैसे लेने के लिये असत्य कथन कर रहा है।

07. दीपक (अ.सा.2), दिलीप (अ.सा.3), निलेश (अ.सा.4), नारायण (अ.सा.5), गुलाबचन्द (अ.सा.6), मगन (अ.सा.8) ने आरोपी के खेत में बने कुंए में अजय की लाश मिलने के संबंध में कथन किये हैं। उक्त साक्षियों को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी दीपक (अ.सा.2) ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने पुलिस को बताया था कि आरोपी का कुंआ पुराना है और आसपास मुंडेर नहीं बनी है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने पुलिस को वह खतरनाक हालत में और उसमें अजय की गिर जाने की बात बतायी थी। बचाव पक्षी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी के खेत की चारों तरफ काटे की बागड़ लगी है तथा बागड़ से लगभग 10 फीट अंदर कुंआ है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि कुंआ खेत के अंदर है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अजय उसके सामने कुंए में नहीं गिरा था। साक्षी ने पुलिस को **प्रदर्श डी-5** का कथन देने से भी इंकार किया है तथा इस सुझाव से भी इंकार किया कि वह असत्य कथन कर रहा है।

08. दिलीप (अ.सा.3) ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी के कुंए पर मुंडेर नहीं होने के कारण तथा कुंआ खतरनाक स्थिति में छोड़े जाने के कारण अजय उसमें गिर गया था और आरोपी की लापरवाही के कारण अजय की मृत्यु हो गयी थी। साक्षी ने पुलिस को **प्रदर्श पी-8** का कथन देने से भी इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया आरोपी के खेत की चारों ओर बागड़ लगी है और कुंआ बागड़ से 10-15 फीट अंदर है तथा आरोपी की कोई गलती नहीं है। निलेश (अ.सा.04) ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह तथा नारायण आरोपी के साथ कुंए में लाश होने की सूचना देने गये थे लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी की लापरवाही के कारण अजय कुंए में गिर गया था। नारायण (अ.सा.05), गुलाबसिंह (अ.सा.06) तथा मगन (अ.सा.08) ने भी अभियोजन के सभी सुझावों को स्पष्ट रूप से इंकार किया है यहाँ तक की पुलिस को कोई कथन देने से भी इंकार करके अभियोजन के मामले का पूर्णतः खण्डन किया।

09. हिम्मतसिंह (अ.सा.7) का कथन है कि वह दिनांक 09.09.2010 को पटवारी हल्का नम्बर 02 तहसील अंजड़ में पदस्थ था। तहसीलदार महोदय ने उसे दिनांक 08.09.2010 को पत्र द्वारा सर्वे नम्बर 272-273 रकवा 1.388 हैक्टेयर का ट्रेस नक्शा व खसरा चाहा था जो उसने तैयार करके तहसीलदार महोदय को **प्रदर्श पी-10** के प्रतिवेदन के साथ दिया था। खसरा **प्रदर्श पी-11** जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त कृषि भूमि आरोपी ने नाम पर दर्ज है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उक्त कुंआ कृषिभूमि के दक्षिण पूर्व कोने पर स्थित है और सार्वजनिक रोड़ पर नहीं है तथा उक्त कुंआ पक्का है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उक्त कुंआ सार्वजनिक रोड़ से 125 फीट कृषिभूमि के अंदर है।

10. जे.पी.पंडित (अ.सा.9) का कथन है कि दिनांक 03.09.2010 को प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्र थाना अंजड़ से आरक्षक निलेश द्वारा अजय पिता रमेश, उम्र 30 वर्ष, निवासी— शिवालय मोहल्ला अंजड़ पर शव परीक्षण हेतु लाया था। उक्त शव का परीक्षण उसने दिनांक 04.09.2010 को किया था। शव में सड़न पायी थी तथा पानी में डूबने के कारण मृत्यु संभावित होने से उसकी टीबिया बोन और विसरा सुरक्षित करके आरक्षक निलेश को सौंपा गया। साक्षी ने उसकी शव परीक्षण प्रतिवेदन **प्रदर्श पी-12** प्रमाणित किया है।

11. गजेन्द्र सिंह (अ.सा.10) का कथन है कि दिनांक 03.09.2010 को थाना अंजड़ ने उसके खेत में किसी अज्ञात व्यक्ति की लाश होने के संबंध में सूचना दी थी जिसके आधार पर उसने **प्रदर्श पी-12** का मार्ग दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 09.09.2010 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड़ के स्वीपर द्वारा सीलबंद पांच बोतले **प्रदर्श पी-13** के अनुसार जप्त की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस अपराध की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक श्री एन.एस.सेंगर द्वारा की गई थी जो रिटायर हो चुके हैं तथा उनका वर्तमान पता ज्ञात नहीं है। श्री सेंगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध **प्रदर्श पी-14** की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। उन्होंने पहचान पंचनामा **प्रदर्श पी-1**, नक्शा **प्रदर्श पी-4**, आरोपी का गिरफ्तारी पंचनामा **प्रदर्श पी-15**, तथा घटना स्थल से एक लीटर प्लास्टिक की बोतल में भरकर **प्रदर्श पी-16** के अनुसार जप्त किया था। तहसील कार्यालय अंजड़ से घटना स्थल का ट्रेस नक्शा पटवारी रिपोर्ट एवं खसरा प्राप्त हुआ था जो **प्रदर्श पी-17** है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि सहायक उपनिरीक्षक श्री सेंगर से किसी भी साक्षी के कथन उसके सामने नहीं लिये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना स्थल का खेत 10-15 फीट अंदर है और खेत के चोरों और बागड़ लगी है।

12. इस प्रकार किसी भी अभियोजन साक्षी ने आरोपी द्वारा उसके खेत में बने कुंए के संबंध में उपेक्षापूर्वक व्यवस्था करने और आरोपी की उपेक्षा के कारण अजय पिता रमेश की मृत्यु कुंए में गिरने से होने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी। यहा तक की सभी साक्षियों ने कुंए के आसपास बागड़ होना बताया और कुंआ सार्वजनिक मार्ग से दूर खेत के अंदर होना बताया है। हिम्मत सिंह (अ.सा.07) ने उक्त कुंए को पक्का कुंआ होना प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया तथा इस संबंध में **प्रदर्श पी-11** का दस्तावेज अभियोजन की ओर से प्रमाणित कराया गया। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने घटना समय, स्थान और दिनांक पर अपने खेत में आम रास्ते पर बने कुंए की ऐसी व्यवस्था करने जो मानव जीवन को अतिसंभाव्य खतरे से बचाने के लिये पर्याप्त हो उपेक्षापूर्ण तरीके से लोक किया जिसके कारण अजय पिता रमेश की मृत्यु कुंए में गिरने से ऐसी परिस्थितियों में कारित हुई जो अपराधिक मानव की श्रेणी में नहीं आता है।

13. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पुर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी कुंवर जी उर्फ कोरजी पिता रूपा जी पाटीदार, उम्र 62 वर्ष, निवासी चकेरी, थाना अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.) को भा.द.वि. की धारा— 304(ए) के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है।

14. आरोपी के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्त सम्पत्ति मृतक का टीबिया बोन प्लास्टिक की बोतल में कुंए का पानी विसरा और सीलबंद बोतल में जन्तु मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट हो। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

15. आरोपी का द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही / -

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

सही / -

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.